न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा टोंक

(सुश्री रजनी मीना आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 89 / 2020

निर्णय दिनांकः— 26.11.2020

उनवान

कैलाश पुत्र हरफुल जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रार्थी

बनाम

1.रामबिलास पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2.सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 उनियारा जिला टोंक

—प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1.श्री रामस्वरूप मीना वकील प्रार्थी
श्री बी0एल0 जैन ब्रीफ होल्डर वकील प्रार्थी
2.श्री के0एल0 ठाडा वकील प्रतिपक्षी न0 1
3.श्री पी0सी0जैन वकील प्रतिपक्षी न0 2

निर्णय

वादी प्रार्थी वकील ने वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—

यह कि वादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जें काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1404 रकबा 1.81 हैक्टर वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा मे स्थित है, जिस पर प्रार्थी का बिना किसी बाधा के निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राज्य सरकार को लगान जमा कराता चला आ रहा है। प्रतिपक्षी का प्रार्थी की उक्त आराजी से दूर का भी कोई लेना देना या सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षी बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जो जबरन प्रार्थी को परेशान करने की नियत से अवैधानिक रूप से भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही है। आज से दो दिन पूर्व प्रतिपक्षी जबरन प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी मे प्रवेश कर अपने विधुत का ट्रांसफार्मर प्रार्थी के खातेदारी मे रखने का प्रयास किया तथा प्रार्थी ने ऐतराज किया तो प्रतिपक्षी ने ऐलानियां धमकी दी कि तुम्हारी जमीन मे ही ट्रांसफार्मर रखकर तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके रहूंगा, इसी कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थी का निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जें काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1404 रकबा 1.81 हैक्टर वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक मे

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

किसी प्रकार की मजाहेमत व मदाखलत नही करें, ना ही काश्त मे बाधा डाले, ना ही ट्रांसफार्मर रखें और ना ही भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करे, ना तो स्वयं ही करे और ना ही अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा प्रारम्भिक रूप मे एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्रतिपक्षीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया।

प्रतिपक्षी न0 2 की ओर से श्री पी0सी0जैन वकील ने दिनांक 27.10.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद व प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत, अवैधानिक व विधि विरूद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो बिल्कुल झूंठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर महज प्रतिपक्षी न0 2 को परेशान करने की नियत से है। प्रतिपक्षी न0 2 के द्वारा कृषि कनेक्शन की लाईन प्रार्थी अथवा प्रतिपक्षी न0 1 के खेत के अन्दर नही डाली गई है, बल्कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी न0 1 के खेत के बीच की डोल/मेड पर पोल खडे है व ट्रांसफार्मर के डबल पोल भी मेड पर ही लगे हुये है, जिससे प्रार्थी अथवा अन्य किसी के खेत को कोई नुकसान नही हुआ है, ना ही किसी की फसल को नुकसान पहुचता है। कृषि कनेक्शन की लाईन डली हुई है एवं ट्रांसफार्मर के डबल पोल भी मेड पर लगे हुये है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र प्राईमाफैसाई तौर पर ही साबित नही है। प्रतिपक्षी न0 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जा सकता। प्रार्थी क्लीन हेण्ड से नही आया है। उक्त वाद पत्र नाकाबिले पेश रप्त होने के कारण चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिपक्षी न0 1 के वकील ने दिनांक 2.11.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिपक्षी काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जिसने अपनी खातेदारी की भूमि पर फसल सिंचित करने हेतु विद्युत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया था तथा प्रतिपक्षी के पक्ष मे डिमाण्ड भी जमा किया जाकर मौके पर पोल गाडे जा चुके है, उक्त पोल प्रतिपक्षी के खातेदारी की भूमि की मेर पर ही गाडे गये है तथा ट्रांसफार्मर भी प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि पर ही रखा जाना है, परन्तु प्रार्थी प्रतिपक्षी से रंजिश रखता है तथा प्रतिपक्षी को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से उसके उक्त जायज विद्युत कनेक्शन को रूकवाने की नियत से मिथ्या कथनों के आधार पर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी प्रतिपक्षी को अपने खातेदारी की भूमि पर विद्युत कनेक्शन लेने से किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। मौके पर पोल इत्यादि भी गाडकर विद्युत तार खींचे जा चुके है। अभी काश्त का समय है तथा यदि समय रहते उक्त कनेक्शन प्रतिपक्षी की भूमि पर नही हुआ तो प्रतिपक्षी के खेत पडत रहने की संभावना है, जिससे प्रतिपक्षी व उसके परिवार के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र प्राईमाफैसाई तौर पर ही साबित नही है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को न होकर प्रतिपक्षी न0 1 को ही अधिक होगी। प्रार्थी को कोई वाद हैतुक उत्पन्न नही हुआ है, बिना वाद हैतुक प्रार्थी का उक्त वाद व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी

दिनांक 2.11.2020 बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने वादग्रस्त आराजी के बारे मे मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत निवेदन किया, जिस पर प्रतिपक्षीगण के अभिभाषक द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही किया तथा तहसीलदार उनियारा से वादग्रस्त आराजी के बारे मे मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार उनियारा ने अपने पत्र कमांक राजस्व/20/1146 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के बारे मे मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय मे दिनांक 24.11.2020 को प्रस्तुत की गई। बहस व आदेश हेतु पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 26.11.2020 नियत की गई।

दिनांक 26.11.2020 को बहस के दौरान प्रार्थी के वकील उपस्थित न होकर उनके ब्रीफ होल्डर वकील उपस्थित हुये। प्रतिपक्षीगण के वकील उपस्थित है। उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी के वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हमारे संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे प्रतिपक्षी न0 1 के द्वारा दखलंदाजी की जा रही है तथा प्रतिपक्षी अपनी खातेदारी की भूमि मे पोल व ट्रांसफार्मर न लगवाकर प्रार्थी के खातेदारी की उक्त आराजी मे पोल गाडकर ट्रांसफार्मर लगवाने तथा भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जें काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1404 रकबा 1.81 हैक्टर वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की मजाहेमत व मदाखलत नही करें, ना ही काश्त मे बाधा डाले, ना ही ट्रांसफार्मर रखें और ना ही भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करे, ना तो स्व्यं ही करे और ना ही अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे।

प्रतिपक्षी न0 1 के वकील ने बहस मे कथन किया कि प्रतिपक्षी न0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि मे टयूब वेल खुदवाई है तथा उस पर विधुत कनेक्शन लिये जाने हेतु प्रतिपक्षी न0 2 के कार्यालय मे आवेदन किया था तथा डिमाण्ड नोटिस जारी होने के बाद राशि जमा करवाई है। प्रतिपक्षी न0 2 ने विधुत पोल प्रार्थी के खातेदारी मे न गाडकर आराजी ख0न0 1404 व 1399 के बीच स्थित मेर पर लगाये गये है। जिससे प्रार्थी की फसल को किसी प्राकर का नुकसान नही है। महज प्रतिपक्षी को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। फसल काश्त का समय है, यदि समय रहते उक्त टयूब वैल पर विधुत कनेक्शन नही हुआ तो प्रार्थी की अपेक्षा प्रतिपक्षी को भारी नुकसान होगा। विधुत पोल वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही लगा दिये गये थे। प्रार्थी को कोई वाद हैतुक उत्पन्न नही हुआ है, बिना वाद हैतुक प्रार्थी का उक्त वाद व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 1404 रकबा 1.81 है0 अर्जुन पुत्र देव्या

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

हि0 1/15 जाति मीना सा0 देह, कैलाश पुत्र हरफूल हि0 1/3, चतरलाल पुत्र रामविलास हि0 1/6 जाति मीना सा0 बिशनपुरा, छीतर पुत्र देव्या हि0 1/5, भूरी पुत्री देव्या हि0 1/15 जाति मीना सा0 देह व सन्जु पुत्र सुवालाल हि0 1/6, जाति मीना सा0 बिशनपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। जिससे प्रतिपक्षी न0 1 का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। उक्त आराजी मे प्रार्थी प्रतिपक्षी न0 1 को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नही करने हेतु पाबन्द कराये जाने का वैधानिक अधिकारी है। प्रतिपक्षीगण के वकील ने अपने जवाब मे कथन किया है कि विधुत पोल प्रार्थी के खातेदारी मे न गाडकर आराजी ख0न0 1404 व 1399 के बीच स्थित मेर पर लगाये गये है। आराजी ख0न0 1399 रकबा 1.74 है0 वाके ग्राम पचाला सुवालाल पुत्र हरपाल जाति मीना सा0 बिशनपुरा की खातेदारी मे दर्ज है।

मौका रिपोर्ट तहसीलदार उनियारा से भी स्पष्ट है कि ख0न0 1399 मे मौके पर टयूब वैल है तथा मौके पर डी.पी. लगाने के लिये गाडे गये पोल 1399 एवं 1404 की मेड पर स्थित है। ख0न0 1399 व 1404 के बीच की **मेड ख0न0 1399 मे स्थित है।** मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रतिपक्षी न0 2 के द्वारा ट्यूब वैल पर कनेक्शन दिये जाने हेतु विधुत पोल प्रार्थी की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी मे न गाडे जाकर ख0न0 1404 व 1399 की मेर पर लगाये गये है ,जो प्रतिपक्षी न0 1 की खातेदारी मे होने के कारण **प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिकारित प्रतिपक्षी न0 2 के द्वारा किया जाना नही पाया जाता है।**

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रतिपक्षी न0 1 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करना उचित समझता है तथा प्रतिपक्षी न0 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही करने से उसे पाबन्द करना उचित नही समझता है।

अतः प्रतिपक्षी न0 1 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जें काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1404 रकबा 1.81 हैक्टर वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की मजाहेमत व मदाखलत नही करें, ना ही काश्त मे बाधा डाले, ना तो स्वयं ही करे और ना ही अन्य प्राधिकृत व्यक्तियो के द्वारा करावे। न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी न0 2 के विरूद्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 21.07.2020 को खारिज की जाती है, क्योकि प्रतिपक्षी न0 2 के द्वारा आराजी ख0न0 1399 जो प्रतिपक्षी की खातेदारी की आराजी है उसी की मेड पर विधुत पोल लगाये गये है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीना)
उप खण्ड अधिकारी
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी उनियारा